

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/जोन कोटा/सा.111- 20818/2025/

दिनांक:-

-: आदेश :-

निम्नांकित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का अध्ययन अवकाश आर.एस.आर के नियम -110 एवं 112 के तहत उनकी स्वयं की प्रार्थना पत्र एवं जीए-45 के आधार पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र. सं.	कार्मिका का नाम	पदस्थापन स्थान	प्रशिक्षण सत्र	अवकाश अवधि
1.	पार्वती सैनी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चेचट खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खैराबाद, कोटा।	2022-23	1.दिनांक 28.12.2022 से 27.12.2024 तक 2 वर्ष अध्ययन अवकाश। 2.दिनांक 28.12.2024 से 25.03.2025 तक 88 दिवस उपाजित अवकाश। 3. अर्द्धवैतनिक अवकाश 26.03.2025 से 26.04.2025 तक 32 दिवस। 4. दिनांक 27.04.2025 से 27.12.2025 तक 245 दिवस असाधारण अवकाश।

उक्त अवकाश अवधि का वेतन इनके मूल पदस्थापन स्थान से आहरित किया जावेगा, यदि मूल पदस्थान स्थान में पद भरे जाने की स्थिति में निदेशालय के पत्रांक 07 दिनांक 03.01.2024 की परिधि में आने पर प्रकरण में तदनुसार कार्यवाही की जावे।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर
दिनांक:- 10/03/2025

क्रमांक:- नर्सिंग/जोन कोटा/सा.111- 20818/2025/ 64
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ जोन-कोटा।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा।
3. सम्बन्धित खण्ड मुख्य चिकित्स अधिकारी, कोटा।
4. संबंधित कार्मिका को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रूम उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
6. रक्षित/आदेश पत्रावली

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :08-03-2025 04:18:09